



जज अदालत उपजिला कलक्टर मुकाम मण्डावर जिला दौसा
नानगी वगैरह बनाम बतकाल वगैरह

किस्म मुकदमा - राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212

मुकदमा संख्या 48/23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.07.2024	<p>नानगी सैन पत्नी बाबूलाल जाति सैन निवासी बालाहेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा वगैरह</p> <p>.....प्रार्थीगण</p> <p>बनाम</p> <p>1. बतकाल सैन पुत्र मूल्या जाति सैन निवासी बालाहेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा वगैरह</p> <p>.....अप्रार्थीगण</p> <p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955</p> <p>उपस्थित 1. श्री गिरिराज प्रसाद एडवोकेट- प्रार्थी 2. प्रार्थीगण स्वयं</p> <p><u>निर्णय</u></p> <p>दिनांक 13.07.2024</p> <p>आज पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में पेश हुई। प्रार्थीगण जरिये वकील की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत विद्घो किया जाने वाद पत्र पेश किया। वादी ने अवगत कराया कि उनवानी प्रकरण में राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से आपस में राजीनामा हो चुका है इसलिये आगे कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं चाहते हूं। मेरा वाद स्थगन कर यही पर समाप्त करने की कृपा करे। इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उनवानी प्रकरण को विद्घो किये जाने की इजाजत फरमाई जाकर वादपत्र को विद्घो के आधार पर खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया है।</p> <p>हमने प्रार्थीगण व उनके वकील को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद विद्घो के आधार पर खारिज हो चुका है। इस प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का अब कोई औचित्य नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। दिनांक 05.9.2023 को जारी की गई अंतर्ग्रिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त (Vacate) की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में सुनाया गया।</p>	


सदस्य
राजस्व अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच महवा


न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच महवा